

न्यायालय नायब तहसीलदार श्रीलक्ष्मी (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का झालरा  
बनान

अप्रार्थी - श्री रामचन्द्र टक्काल-जट निवासी झालरा अन्तर्गत धारा 91 नू-राजसद  
अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 34 / 2018  
निर्णय

दिनांक 27. 6. 2018

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का झालरा ने अप्रार्थी के विरुद्ध टीपी रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2075 में सरहद झालरा के खसरा नम्बर 302 की किरम गै.मु. में रकबा 0.0050 ईघा भूमि में झाड़ी लगा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री ..... ने दिनांक ..... को उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली व पत्रावली का हल्का दस्तावेजाती एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी की रकबा झालरा के खसरा नम्बर 302 किरम गै.मु. में रकबा 0.0050 ईघा भूमि पर अतिक्रमण किया जाना बताने पर सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमण घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमण भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 8 - रूपये एवं कौमा का दर से अतिक्रमण रकबा 0.0050 ईघा भूमि के 0.04 रूपये लगान का भुगतान 2 - ...../- अक्षरों में ..... रूपये दत्तान जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को माग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 27. 6. 18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार श्रीलक्ष्मी